तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रमेश शर्मा पुत्र परमेश्वर लाल निवासी बड़ेसरा, तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज०) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनु०) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा प्रकरण संख्या :– 60 / 2023 जीसीएमएस नं. :– (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-02-2024	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 04.10.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनु०) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनु०) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक / भू. अ. / रेकार्ड / सूकाअ / 2023 / 64001 दिनांक 02.01.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना अवलोकन कर प्राप्त कर ली गई है, अपलार्थी सूचना से संतुष्ट है जिसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। 4. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनु०) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना / जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोडेण्ट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 14-02-2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा जिला कलक्टर भीलवाड़ा	